संख्या : 3618 आर/छ-पु-5-670/83

प्रेषक,

एस0 के0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

(पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ: दिनॉक: 30 अगस्त, 1994

विषय: आग्नेयास्त्र एवं गोला बारूद के व्यवसायिक लाइसेंस के संबंध में।

महोदय,

आयुध अधिनियम-1959 एवं उसके अधीन बनायी गयी आयुध नियमावली-1962 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आग्नेयास्त्रों एवं गोला बारूद के विक्रय एवं आग्नेयास्त्रों के मरम्मत के व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र-11 एवं प्रपत्र-12 पर शासन द्वारा लाइसेंस निर्गत किये जाते हैं तथा विज्ञप्ति संख्या:6372 आर(5)/8-ख-18/60, दिनांक 1.10.1962 में प्रतिनिहित शक्तियों के अन्तर्गत प्रपत्र-13 एवं प्रपत्र-14 के व्यवसायिक लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं किन्तु शासन के पत्र संख्या:2396आर/आठ-5-800(45)/82, दिनांक 1 मई, 1982 द्वारा उपर्युक्त प्रपत्रों में नये लाइसेंस की स्वीकृति के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्रों के व्यवसायिक लाइसेंस न दिये जायें। तदुपरान्त शासन के पत्र संख्या:89 आर/छ-पु-5-670/83, दिनांक 11.1.91 एवं संख्या 4233 आर/छ-पु-5-670/83, दिनांक 24.12.92 द्वारा पुन: यह निर्णय लिया गया कि मृतक लाइसेंसधारकों के वारिसों के मामलों में विचार कर लाइसेंस स्वीकृत किये जायें।

2- इस विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत दिनॉक 17 अगस्त, 1994 के शासनादेश द्वारा शासन ने 16.12.1985 से अनिषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस की स्वीकृति पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया है, इसी कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस विषय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों का अतिक्रमण करते हुये अब यह निर्णय लिया गया है कि आग्नेयास्त्र व्यवसाय हेतु प्रपत्र-11,12,13 एवं प्रपत्र-14 पर लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाय। शासन के इस निर्णय के अनुसार प्रपत्र-11, एवं प्रपत्र-12 के नये लाइसेंस के प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासन को सन्दर्भित किये जायेंगे तथा प्रपत्र-13 एवं प्रपत्र-14 के लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा विज्ञप्ति संख्या:6372 आर(5)/8-ख-18/60, दिनॉक 1.10.1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत शासन की अनापत्ति के आधार पर ही स्वीकृत किये जायेंगे।

3- उपर्युक्त विषय पर मुझे यह भी कहना है कि आग्नेयास्त्रों एवं उनके प्रयोग का प्रदेश की शान्ति व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि

आग्नेयास्त्रों के व्यवसायिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर आयुध अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत पूर्ण सर्तकता एवं गहराई से सभी पहलुओं पर छानबीन कराने के पश्चात् अत्यन्त आवश्यक होने पर ही लाइसेंस स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी संस्तुति शासन को प्रेषित की जाय।

4- कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

(एस0 के0 रिजवी)
विशेष सचिव

संख्या::3618 आर(1)/छ-पु-5-670/83, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0 के0 रिजवी)
विशेष सचिव